

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2950
जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

2950. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या डिजिटल इंडिया पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक लोगों की पहुँच में सुधार हुआ है; और
- (घ) सरकार द्वारा बढ़ते डिजिटल उपयोग को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात की उल्लेखनीय वृद्धि निम्नानुसार अवलोकित की जा सकती है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	~ 6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का निर्यात (रु.)	38 हजार करोड़	3.27 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयां	2	300	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (रु.)	18 हजार करोड़	5.45 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (रु.)	1,500 करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फोन (इकाइयां)	कुल मांग का 75%	कुल मांग का 0.02%	

उद्योग का अनुमान है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए मूल्य संवर्धन में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

यह उपलब्धि पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों और सुधारों का परिणाम है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 1.0 और ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (स्पेक्स)

- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017

- लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति देना

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना

- पीएलआई योजना ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है।
- भारत ने स्वयं को मोबाइल फोन के निवल आयातक से निवल निर्यातिक में बदल दिया है।
- भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजनाएं

आकर्षित संचयी निवेश	13,107 करोड़ रुपए
प्राप्त संचयी उत्पादन	8,56,947 करोड़ रुपए
निर्यात	4,65,809 करोड़ रुपए
अतिरिक्त रोजगार सृजन	1.35 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार (जून 2025 तक)

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार से अर्थव्यवस्था में तीन अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में एफडीआई

- पिछले 5 वर्षों में (यानी वित्त वर्ष 2020-21 से) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में 4 बिलियन डॉलर से अधिक एफडीआई आया है।
- इस एफडीआई का लगभग 70% पीएलआई योजना के लाभार्थियों द्वारा योगदान दिया जाता है।

सेमीकॉन्डक्टर इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने भारत में सेमीकॉन्डक्टर और डिस्प्ले उद्योग के विनिर्माण और विकास के लिए अब तक 6 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 27,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को और अधिक गहन बनाने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की है।

- 8 अप्रैल 2025 को 22,919 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया।
- घटक, उप-संयोजन और पूंजीगत उपकरणों में निवेश को आकर्षित करके इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य शृंखला को मजबूत करने का लक्ष्य है।

योजना का अधिक विवरण ecms.meity.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग): डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं तक अभिगम बढ़ाने के लिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजिलॉकर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग), ई-हस्ताक्षर, ई-हॉस्पिटल, ई-संजीवनी, माइस्कीम, आरोग्य सेतु, आदि।

इसके अतिरिक्त, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना की गई है जिनका उद्देश्य सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करना और ग्राम पंचायत स्तर तक सीएससी नेटवर्क का विस्तार करना है।

सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने बताया है कि जून 2025 तक, देश भर में (ग्रामीण + शहरी) 5.60 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4.36 लाख सीएससी ग्राम पंचायत (ग्रामीण) स्तर पर कार्यरत हैं।

(घ): सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत प्रतिउपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70क के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को आईटी अधिनियम की धारा 70ख के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनएससीएस) साइबर सुरक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करता है
- सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए यथोचित सुरक्षा पद्धतियों को अधिदेशित करते हैं
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हेतु एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिये सरक्षा सुरक्षोपाय करने के लिये डेटा फ़िर्झूशरीज़ को अनिवार्य करता है

खतरे का पता लगाना और घटना की प्रतिक्रिया:

- सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी), साइबरस्पेस को स्कैन करने और वास्तविक समय खतरे का पता लगाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है
- सर्ट-इन एक स्वचालित साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जो संगठनों और क्षेत्रों में अलर्ट के वास्तविक समय के साझाकरण को सक्षम बनाता है
- सर्ट-इन द्वारा तैयार साइबर संकट प्रबंधन योजना, साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्यों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू की गई है।
- सरकार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा संगठनों की तैयारियों का आकलन करने के लिए सर्ट-इन द्वारा नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है।
- सर्ट-इन के तहत सीएसआईआरटी-फिन (वित्त क्षेत्र में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल) बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र (मई 2020 से परिचालित) के लिए घटना प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।
- सर्ट-इन ने सुरक्षा ऑडिट करने और सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू करने में सहायता करने के लिए 200 सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

नागरिक केंद्रित सेवाएं और जागरूकता:

- साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा संचालित एक बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है
- यह उपयोगकर्ता उपकरणों से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता लगाने और उन्हें साफ़ करने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है और साइबर सुरक्षा संबंधी युक्तियाँ और सर्वोत्तम पद्धतियों भी प्रदान करता है।
- गृह मंत्रालय के तहत आई4सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) की स्थापना साइबर अपराधों से समन्वित तरीके से निपटने के लिए की गई है।
- उभरते खतरों और शमन रणनीतियों पर साइबर सुरक्षा परामर्शी निदेश नियमित रूप से सर्ट-इन द्वारा जारी किए जाते हैं
- साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:
 - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) अक्टूबर में मनाया जाता है।
 - सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है
 - स्वच्छता पखवाड़ा प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक मनाया जाता है
 - साइबर जारूकता दिवस (सीजेडी) हर माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है, जिसमें नागरिकों और तकनीकी साइबर समुदाय दोनों के लिए गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं
